१८५

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 216B/2017–18

चुड़ामनी महतो **बनाम** कलावती महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
08-06-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 209 दिनांक 27.02.18 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 216 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता चुड़ामनी महतो पति स्व० रामप्रसाद महतो, ग्राम–कुवरदा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता कलावती महतो, पति श्री दाताराम महतो, ग्राम–बाना, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	**थाना न0**	**खाता न0**	**खेसरा न0**	**रकवा**
बाना	52	142	758	0.04एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर के नाम खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। बिक्रेता के पास 3.73 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.04 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.69 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.04 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

ह० 08/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner